न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2023

उनवान

1. रिछपाल यादव पुत्र श्री गंगाराम, उम्र 43 वर्ष
2. सोनी देवी पत्नि गंगाराम, उम्र 42 वर्ष

जाति अहिर, निवासी ढाणी उपली सेठावाली, नाथावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत नाथावाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नाथावाला तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— प्रत्यार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण सं0—1113 दिनांक 18.01.2023, जिसे प्रत्यार्थी सं0—1 द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.02.2023 के प्रस्ताव सं0—2 द्वारा खारिज किया गया।

आदेश दिनांक :— 4/10/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 886/0.13, 890/2/0.02, 899/0.15, 903/0.13, 904/0.14, 912/0.25, 931/0.24 कुल किता—7 रकबा 1.06 है0 तहत खाता संख्या—29 व हाल आराजी खसरा नंबर 240/1308/0.25, 258/0.23, 260/2/0.02, 569/0.28, 933/0.13 कुल किता—5 रकबा 0.9100 है0 तहत खाता संख्या 32 ग्राम नाथावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी अपीलार्थी सं0—1 के पिता व अपीलार्थी सं0—2 के पति गंगाराम उर्फ गंगू पुत्र छोटू अहीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। गंगाराम उर्फ गंगू की दिनांक 10.08.2021 को मृत्यु हो गयी अपीलार्थी सं0—1 मृतक गंगाराम उर्फ गंगू का पुत्र व अपीलार्थी सं0—2 मृतक गंगाराम उर्फ गंगू की पत्नि है व वारिस व उत्तराधिकारी है। पटवारी हल्का द्वारा गंगाराम उर्फ गंगू की मृत्यु के पश्चात् उसका विरासत नामान्तकरण सं0— 1113 दिनांक 18.01.2023 को भरकर वास्ते जांच गिरदावर हल्का—शाहपुरा को प्रेषित किया व गिरदावर हल्का—शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट पटवारी व अन्य दस्तावेजात से मिलानकर सही पाये जाने की रिपोर्ट कर वास्ते तस्दीक प्रत्यार्थी सं0—1 ग्राम पंचायत नाथावाला को प्रेषित किया व प्रत्यार्थी सं0—1 ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा बिना किसी अधिकार मनमाने क्यासों के आधार पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.02. 2023 में बिना जांच किये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना अपीलार्थीगण को सूचना व नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये, प्रस्ताव सं0—2 पारित कर उक्त नामान्तरकण सं0—1113 को दिनांक 07.02.2023 को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया। मान्य अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 07. 02.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर अपील प्रस्तत करता है कि :—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रस्ताव सं0—2 दिनांक 07.02.2023 व आदेश खारिज नामान्तकरण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य दस्तावेजात व विधी के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय प्रत्यार्थी सं0—1 द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण को बाद विचार विमर्श कर खारिज किया जाकर वैध वारिसान के साथ पुनः पेश किया जाने का निर्णय पारित किया गया है किन्तु आदेश में कही भी उल्लेख नहीं किया कि वैध वारिसान कौन है ? जबकि पटवार हल्का नाथावाला द्वारा अपीलार्थीगण जो कि मृतक के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है के नाम बाद जांच व दस्तावेजात, शपथ—पत्र के नामान्तकरण भरकर पेश किया व जिसे गिरदावर हल्का शाहपुरा द्वारा सही पाये जाने की रिपोर्ट की है इसलिए भी प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि प्रश्नगत नामान्तकरण मान्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खारिज कर वैध वारिसान के साथ पुनः पेश किये जाने का निर्णय अंकित किया गया है। अपीलार्थीगण मृतक गंगाराम उर्फ गंगू के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पत्नि एवं पुत्र होने के कारण प्रथम श्रेणी के वैध रूप से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

विधिक वारिसान है तथा अपीलार्थीगण के अलावा मृतक गंगाराम उर्फ गंगू के अन्य कोई विधिक वैध वारिसान नहीं फिर भी मान्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण खारिज करने के अहम कानूनी भूल की है।

4. यह कि मृतक गंगाराम उर्फ गंगू के अपीलार्थीगण के अलावा अन्य कोई विधिक वैध वारिसान नहीं है तथा अन्य कोई वारिसान होने बाबत पत्रावली के रिकॉर्ड पर कोई तथ्य का अंकन एवं दस्तावेजात नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश एवं निर्णय में अन्य वैध वारिसान अस्तित्व में होने बाबत् भी कोई अंकन नहीं है फिर भी मान्य अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र मनमाने रूप से क्यासों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने लायक है।

अन्त में निवेदन किया कि अपील मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.02.2023 निरस्त किया जाकर मृतक गंगाराम उर्फ गंगू का विरासत नामान्तकरण सं0–1113 अपीलार्थीगण के नाम स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। तामील होने पश्चात् प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं आये और ना ही अपनी और से उक्त अपील के संबंध कोई जवाब पेश किया गया। वकील अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 886/0.13, 890/2/0.02, 899/0.15, 903/0.13, 904/0.14, 912/0.05, 931/0.24 कुल किता–7 रकबा 1.06 है0 तहत खाता संख्या–29 व हाल आराजी खसरा नंबर 40/1308/0.25, 258/0.23, 260/2/0.02, 569/0.28, 933/0.13 कुल किता–5 रकबा 0.9100 है0 तहत खाता संख्या 32 ग्राम नाथावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी अपीलार्थी सं0–1 के पिता व अपीलार्थी सं0–2 के पति गंगाराम उर्फ गंगू पुत्र छोटू अहीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। गंगाराम उर्फ गंगू की दिनांक 10.08.2021 को मृत्यु हो गयी अपीलार्थी सं0–1 मृतक गंगाराम उर्फ गंगू का पुत्र व अपीलार्थी सं0–2 मृतक गंगाराम उर्फ गंगू की पत्नि है व वारिस व उत्तराधिकारी है। पटवारी हल्का द्वारा गंगाराम उर्फ गंगू की मृत्यु के पश्चात् उसका विरासत नामान्तकरण सं0– 1113 दिनांक 18.01.2023 को भरकर वास्ते जांच गिरदावर हल्का–शाहपुरा को प्रेषित किया व गिरदावर हल्का–शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट पटवारी व अन्य दस्तावेजात से मिलानकर सही पाये जाने की रिपोर्ट कर वास्ते तस्दीक प्रत्यार्थी सं0–1 ग्राम पंचायत नाथावाला को प्रेषित किया व प्रत्यार्थी सं0–1 ग्राम पंचायत नाथावाला द्वारा बिना किसी अधिकार मनमाने क्यासों के आधार पर ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.02.2023 में बिना जांच किये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना अपीलार्थीगण को सूचना व नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये, प्रस्ताव सं0–2 पारित कर उक्त नामान्तरकण सं0–1113 को दिनांक 07.02.2023 को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.02.2023 निरस्त किया जाकर मृतक गंगाराम उर्फ गंगू का विरासत नामान्तकरण सं0–1113 अपीलार्थीगण के नाम स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया। अवलोकन उपरांत जाहिर आता है कि नामान्तकरण संख्या–1113 दिनांक 18.01.2023 को भरकर वास्ते जांच गिरदावर हल्का–शाहपुरा को प्रेषित किया गया व गिरदावर हल्का–शाहपुरा द्वारा रिपोर्ट पटवारी व अन्य दस्तावेजात से मिलानकर सही पाये जाने की रिपोर्ट कर वास्ते तस्दीक ग्राम पंचायत नाथावला (प्रत्यार्थी सं0–1) को प्रेषित किया गया। प्रत्यार्थी संख्या–1 ने ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 07.02.2023 को प्रस्ताव संख्या –2 पारित कर उक्त नामान्तकरण संख्या–1113 को दिनांक 07.02.2023 को खारिज कर दिया गया, जो कि बिना किसी जांच व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना अपीलार्थीगण को सूचना व बिना सुनवाई का अवसर दिये, न्यायसंगत नहीं है, जबकि अपीलार्थीगण मृतक गंगाराम उर्फ गंगू के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी होना माना गया है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किया जाकर दिनांक 07.02.2023 बाबत् नामान्तकरण संख्या 1113 निरस्त किया जाकर निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 1113 दिनांक 18.01.2023 को 30 दिवस में नियमानुसार निर्णित किया जावे। तहसीलदार तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 5/10/23 को सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)